LEGAL DEPARTMENT

Our Ref: LAW/9/275/2018 Date: 17 July 2018

Subject: ***Draft Specimen/Model Complaint (in English and Hindi) for filing the complaint case before the Hon'ble Court***

The Draft specimen/Model Complaint prepared in English and duly translated in Hindi, as per New BIS Act 2016, is circulated for the benefiting of guidance of all ROs/BOs. The Draft Specimen/Model Complaint in English alongwith its Hindi translation, is enclosed.

2. Heads of all Regional Offices/Branch Offices are requested that the Complaint(s) henceforth, may be got prepared by the BIS panel Advocate on similar lines and filed in the Competent Courts of Law, without the approval/vetting of the same by Legal Department. The facts and figures narrated in the Complaint(s) may be verified and checked carefully by the Branch Office before filing the same in the Court of Law, according to the need/situation of the case.

Encl: As above

(Tilak Raj)
Director (Legal)

Circulated to: **Heads of all ROs/BOs** – for information and necessary action, please.

Head (ITS) – with the request to host the same on BIS Intranet, please.

विधि प्रेषण सं. 549
दिनांक 17/7/18

शिकायत का नमूना/मॉडल

---------- के न्यायालय में

जिला----------

राज्य----------

2018 की आपराधिक शिकायत सं.----------

<u>के मामले में :-</u>

भारतीय मानक ब्यूरो परिवादी

बनाम

मै/- .....एवं अन्य

श्री .....के स्वामी/साझीदार (रों)

मै/-..... अभियुक्त

1. (अभियुक्त का नाम व पता) अभियुक्त सं.1

2. (अभियुक्त का नाम व पता) अभियुक्त सं.2

3. (अभियुक्त का नाम व पता) अभियुक्त सं.3

पुलिस स्टेशन.....

<u>विषय सूची</u>

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 11 अथवा धारा 14 अथवा 15 अथवा 17 अथवा धारा 26 की उपधारा(6) अथवा (8) के साथ पठित (जैसा भी मामला हो) क्राइम पीसी की धारा 200 के अंतर्गत शिकायत	
2.	दस्तावेज़ों की सूची	
3.	अनुबंध 1:-प्राधिकार पत्र दिनांक----------	
4.	अनुबंध 2 :- विवेकानुसार (डिस्क्रीट) जांच रिपोर्ट की प्रति	

	दिनांक	
5.	**अनुबंध 3 :- सशस्त्र कार्मिक की तैनाती के लिए अनुरोध की प्रति दिनांक----------**	
6.	**अनुबंध 4:- छापा मारने वाले दल के पक्ष में तथा अपराधी द्वारा पूर्ण सहयोग करने के अनुरोध के लिए जारी पत्र सं.----------दिनांक की प्रति**	
7.	**अनुबंध 5 :- दिनांक---------- के जब्ती मीमो सं.----------की प्रति**	
8.	**अनुबंध 6 :- छापा/तलाशी एवं जब्ती सं.----------दिनांक---------- रिपोर्ट की प्रति**	
9.	**अनुबंध 7 :-साझेदारी विलेख की प्रति, दिनांक----------यदि कोई हो, अथवा कम्पनी के मामले में इस आशय के आवश्यक दस्तावेज़ की प्रति**	
10.	**अनुबंध 8 :- पट्टे/किराया विलेख दिनांक----------और पैन कार्ड/आधार कार्ड/टेलीफोन बिल/बिजली का बिल/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि अथवा छापे के दौरान लिए गए अन्य किसी दस्तावेज़ की प्रति**	
11.	**साक्षियों की सूची (सूचियां)**	
12;	**वकालतनामा**	

शिकायतकर्त्ता

बीआईएस काउंसिल के माध्यम से

बीआईएस वकील का नाम, पता व फोन नम्बर

स्थान :-

दिनांक :- / /201....

----------के न्यायालय में

जिला----------

राज्य----------

201.. की आपराधिक शिकायत सं.----------

<u>के मामले में :-</u>

भारतीय मानक ब्यूरो **परिवादी**

बनाम

मै/- .....एवं **अभियुक्त**

श्री .....के स्वामी/साझीदार (रों)

मै/- .....

1. (अभियुक्त का नाम व पता) **अभियुक्त सं.1**

2. (अभियुक्त का नाम व पता) **अभियुक्त सं.2**

3. (अभियुक्त का नाम व पता) **अभियुक्त सं.3**

पुलिस स्टेशन.....

बीआईएस अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के लिए अभियुक्त व्यक्ति/फर्म पर मुकद्मा चलाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 11 अथवा धारा 14 अथवा 15 अथवा 17 अथवा धारा 26 की उपधारा(6) अथवा (8) के साथ पठित (जैसा भी मामला हो) क्राइम पीसी धारा 200 के अंतर्गत शिकायत

<u>अत्यंत सादरपूर्वक</u>

1.कि, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (जिसे इसमें आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो एक निगमित निकाय है। भारतीय मानक ब्यूरो (जिसे इसमें आगे ''ब्यूरो'' कहा गया है) मानक निर्धारण करने और मानक के अनुरूप माल, वस्तु, प्रक्रिया, पद्यति अथवा सेवा होने पर अनुरूपता लाइसेंस अथवा प्रमाण पत्र प्रदत्त करने वाला निगमित निकाय है। ब्यूरो को माल, उत्पाद और सेवाओं के साथ गुणता पद्धति एवं प्रबंध पद्धति के लिए प्रमाणन मुहर लाइसेंस प्रदान करने अधिकार प्राप्त है।

अभियुक्त के विरूद् वर्तमान शिकायत श्री....., वैज्ञानिक....., ...विभाग द्वारा दायर की गई है, इस मामले में परिवादी को इसकी ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है (प्राधिकार पत्र की प्रति अनुबंध.....के रूप में इसके साथ संलग्न है) ।

2. कि भारतीय मानक ब्यूरो संसद के अधिनियम (2016 का अधिनियम सं.11), जिसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत एक निगमित निकाय है जो मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और माल, वस्तुओं,प्रक्रियाओं, पद्धतियों एवं सेवाओं के गुणता आश्वासन तथा उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक गतिविधियों का सुमेलित विकास करता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 27 के साथ पठित धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के परिणामस्वरूप परिवादी को यथा आवश्यक किसी सामग्री अथवा माल का निरीक्षण करने और नमूना लेने के लिए प्राधिकृत करता है कि जिस वस्तु अथवा प्रक्रिया के लिए मानक मुहर प्रयुक्त की गई है वह भारतीय मानक के अनुरूप है या नहीं और यह सत्यापित करने के लिए कि किसी वस्तु या माल पर लाइसेंस की शर्तों के अनुसार मानक मुहर का उपयुक्त इस्तेमाल किया गया है।

3. ब्यूरो के पास बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत, उसके अधीन बने विभिन्न विनियमों के अधीन लाइसेंस प्रदान, नवीकरण, रद्द अथवा निरस्त करने की शक्ति निहित है।

<u>धारा 11 :</u> (1)ब्यूरो के प्राधिकृत किए बिना किसी व्यक्ति को किसी भारतीय मानक अथवा उसके भाग अथवा ब्यूरो के किसी अन्य प्रकाशन को किसी तरीके अथवा किसी रूप में प्रकाशित करने, प्रतिलिपि तैयार करने अथवा रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं होगी। (2) कोई व्यक्ति ऐसा दस्तावेज़ जारी न करे जो भारतीय मानक अथवा उसकी छाप हो अथवा उससे छाप निर्मित हो, जैसा कि इस अधिनियम में अपेक्षित है, बशर्ते कि, इस उपधारा में किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग हेतु भारतीय मानक की प्रति बनाने का निषेध न किया गया हो।

<u>धारा 13</u> : कोई व्यक्ति माल, वस्तु, पद्धति अथवा सेवा के भारतीय मानक के अनुरूप होने पर लाइसेंस प्रदान करने अथवा अनुरूपता प्रमाणपत्र के लिए, जैसा भी मामला हो, आवेदन कर सकता है।

<u>धारा 14 (4)</u> : उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित माल या वस्तु की बिक्री के लिए किसी विक्रेता को,जैसा कि विनियम में निर्धारित है, पद्धति से ब्यूरो आदेश द्वारा मानक मुहर के प्रमाणन अथवा ज्वैलर अथवा अन्य किसी विक्रेता के हॉलमार्क को प्रदत्त,नवीकृत, रद्द, निरस्त कर सकता है ।

<u>धारा 14 (6)</u>: उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित माल अथवा वस्तुओं के लिए ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण और मुहरांकन केन्द्र अथवा एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्र के अलावा, हॉलमार्क सहित किसी प्रकार से मानक मुहर को माल या वस्तु पर उपयोग, लगाना, अलंकृत, उत्कीर्ण, मुद्रित अथवा प्रयोग अथवा उसकी रंगीन नकल और विज्ञापन, बिक्री को बढ़ावा देने वाले लीफलैट, मूल्य सूची या समान तरीकों के द्वारा इसके प्रयोग से संबंधित कोई दावा तथा मानक मुहर का अनुप्रयोग करना जिसमें हॉलमार्क भी शामिल है।

<u>धारा 14 (8)</u> :एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्र सहित कोई मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं मुहरांकन केन्द्र, उप-धारा(5) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होते हुए भी, के द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित माल अथवा वस्तुओं के लिए हॉलमार्क सहित मानक मुहर, अथवा उसकी रंगीन नकल का प्रयोग अथवा लगायेगा नहीं, जब तक कि ऐसा माल या वस्तु संबद्ध मानक के अनुरूप न हो।

<u>धारा 15</u> : अधिनियम की इस धारा में,कोई व्यक्ति धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ब्यूरो से प्राप्त प्रमाणन को छोड़ कर, किसी माल अथवा वस्तु का आयात, वितरण, विक्रय, भंडारण या प्रदर्शन नहीं करेगा।

<u>धारा 15 (2)</u> : ब्यूरो द्वारा प्रमाणित व्यक्ति को छोड़ कर, कोई अन्य व्यक्ति धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचित माल या वस्तुओं की बिक्री या प्रदर्शन तथा हॉलमार्क सहित मानक मुहर नहीं लगाएगा तथा न ही विज्ञापन, बिक्री को बढ़ावा देने वाले लीफलैट, मूल्य सूची अथवा सदृश के माध्यम से मानक मुहर का दावा करेगा, जिसमें हॉलमार्क भी शामिल है।

<u>धारा 15 (3)</u> : कोई प्रमाणित ज्वैलर अथवा विक्रेता, प्रमाणन प्रदत्त होते हुए भी, मानक मुहर, जिसमें हॉलमार्क भी शामिल है, वाले किसी अधिसूचित माल अथवा वस्तुओं अथवा उसकी रंगीन नकल का विक्रय अथवा प्रदर्शन अथवा उसका विक्रय का प्रस्ताव नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे

माल या वस्तु पर विनियम द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार मानक मुहर न लगी हो अथवा हॉलमार्क न हो और ऐसा माल या वस्तु संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप न हो।

धारा 16 : केन्द्र सरकार के पास किसी भी अनुसूचित उद्योग की किसी वस्तु अथवा प्रक्रम, जो भारतीय मानक के अनुरूप हो, को अधिसूचित करने; और ऐसी वस्तु अथवा प्रक्रम पर अनिवार्य के रूप में एक लाइसेंस के अंतर्गत मानक मुहर के उपयोग के लिए निदेश देने की शक्ति है। केन्द्र सरकार अधिसूचना जीएसआर के प्रावधानों के अनुपालन में अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत - ---------- (उत्पाद का नाम) बनाना और मिश्रण (आईएस 5346) लाया गया है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, इसके गुणता नियंत्रण आदेश, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत बनाए गए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1984 (तीसरा संशोधन) के अंतर्गत अधिसूचना जीएसआर संख्या 764(ई), दिनांक 15 नवम्बर 1984 द्वारा जारी किया गया ।

धारा 17(1) : कोई भी व्यक्ति धारा 16 के उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे किसी सामान, वस्तु, प्रक्रम, प्रणाली अथवा सेवा को बिक्री के लिए निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराये पर देना, पट्ट भंडारण या प्रदर्शित नहीं करेगा - (क) मानक मुहर के बिना, वैध लाइसेंस के अंतर्गत मानक मुहर को छोड़कर, अथवा (ख) इसके बावजूद कि उसे मानक मुहर प्रयोग करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, जब तक कि ऐसे सामान, वस्तुएँ, प्रक्रिया, पद्धति या सेवा संबद्ध मानक अथवा निर्धारित अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुरूप न हो ।

धारा 17(2) : कोई भी व्यक्ति धारा 16 के उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ब्यूरो या किसी अन्य प्राधिकरण से अनुरूपता या लाइसेंस का वैध प्रमाण पत्र लिए बिना विज्ञापन, बिक्री संवर्धन पुस्तिका प्रक्रिया सूची में या इस तरह के माध्यम से सार्वजनिक दावा नहीं करेगा कि उसके सामान, वस्तुएँ, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा किसी भारतीय मानक के अनुरूप है या सामान या वस्तुओं पर ऐसी घोषणा नहीं करेगी ।

धारा 17(3) : यह परिकल्पित करता है कि ब्यूरो से वैध लाइसेंस के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सामान, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की बिक्री के लिए निर्माण वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा या प्रदर्शन या पेशकश किसी भी पेटेंट का शीर्षक या किसी भी व्यापार चिन्ह या डिजाइन में एक मानक मुहर या उसके रंगीन में किसी भी तरीके से उपयोग या लागू करने या लागू करने के लिए उपयोग या लागू नहीं करेगा ।

धारा 25 : निदेश(शों) को जारी करने की केन्द्र सरकार की शक्तियों को परिभाषित किया गया है।

धारा 25(3) : ब्यूरो की शक्तियों के साथ-साथ सामान, वस्तु, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं की गुणता के संवर्धन, मानीटरिंग और प्रबंध के लिए तथा उपभोक्ताओं और विभिन्न स्टेकहोल्डरों के हितों की रक्षा करना और धारा 16 के उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए किन्हीं अन्य सामानों, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं को अधिसूचित करने, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, ऐसी अन्य कार्यवाही करने की शक्ति शामिल है ।

धारा 26 : (1) कोई भी व्यक्ति जनता को धोखा देने या देने की संभावना की दृष्टि से ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगा -

(क) कोई नाम, जो ब्यूरो के नाम के काफी समान ही दिखता है या जिससे जनता को धोखा देने की संभावना है या नाम, जिसमें ''भारतीय मानक'' या उसके किसी संक्षेप में अभिव्यक्ति शामिल है, या

(ख) किसी भी सामान, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के संबंध में किसी पेटेंट या चिन्ह या व्यापार चिन्ह या डिजाइन का कोई भी शीर्षक जिसमें ''भारतीय मानक'' या ''भारतीय मानक विशिष्टि'' अभिव्यक्तियों या ऐसी अभिव्यक्तियों का कोई संक्षेप शामिल है ।

(2) इस समय लागू किसी भी कानून में निहित के बावजूद कोई पंजीकरण प्राधिकारी निम्नलिखित नहीं करेगा -

(क) किसी भी कम्पनी, फर्म या अन्य व्यक्तियों के अन्य निकाय को पंजीकृत करना, जो कोई नाम या चिन्ह धारण करता है; या

(ख) ट्रेड मार्क या डिजाइन का पंजीकरण करना, जो कोई नाम या चिन्ह धारण करता है; या

(ग) एक आविष्कार के संबंध मं एक पेटेंट प्रदान करना, जिसमें कोई नाम या चिन्ह शामिल हो, यदि ऐसे नाम या चिन्ह का उपयोग उपधारा (1) का उल्लंघन है ।

(3) यदि पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी नाम या चिन्ह का उपयोग उपधारा (1) के उल्लंघन में है, पंजीकरण प्राधिकारी इस प्रश्न को केन्द्र सरकार को संदर्भ के लिए भेज सकता है, जिसका निर्णय इस पर अंतिम होगा ।

धारा 27 : प्रमाणन अधिकारी में निम्नलिखित शक्तियॉं निहित हैं :

(क) किसी सामान, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली, सेवा के संबंध में कोई निरीक्षण करना, जिसके लिए मानक मुहर का उपयोग किया गया है; और (ख) किसी सामान, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली, सेवा में प्रयुक्त किसी वस्तु या किसी सामग्री या पदार्थ के नमूने लेना, जिसका संबंध उपयोग की गई मानक मुहर से है ।

धारा 28 : (1) अगर प्रमाणन अधिकारी के पास विश्वास करने का कोई कारण है कि धारा 11 या धारा 14 की उपधारा (6) या (8) या धारा 15 या धारा 17 के उल्लंघन के संबंध में किसी सामान या वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा किसी भी स्थान, परिसर या वाहन में उल्लंघन किया गया है, वह इस तरह के सामान, वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा, जैसा मामला हो, के लिए ऐसे स्थान, परिसर या वाहन में प्रवेश करके तलाश कर सकता है । जहॉं उपधारा (1) के अंतर्गत की गई किसी भी तलाशी के परिणामस्वरूप धारा 11 या धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के संबंध में किसी सामान या वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा में उल्लंघन हुआ है, तो प्रमाणन अधिकारी ऐसे सामान अथवा वस्तुओं और अन्य सामग्री तथा दस्तावेज इत्यादि को जब्त कर सकता है ।

धारा 29 : बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघनों के लिए दंड निर्धारित है, जिसे इस माननीय न्यायालय के तुरंत संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाता है ।

29. (1) धारा 11 या धारा 26 के उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने सहित दंडनीय होगा, जो 5 लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है ।

(2) धारा 14 के उपधारा (6) अथवा 8 या धारा 15 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति कारावास की अवधि सहित दंडनीय होगा, जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माने सहित जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा, परंतु जिसे उत्पादित या बेचे गए अथवा बेचने के लिए प्रस्तावित या हॉलमार्क समेत मानक मुहर के साथ लागू किया गया । सामानों या वस्तुओं के मूल्य से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ : परंतु कि जहॉं उत्पादित या बेचे गए अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित सामानों या वस्तुओं के मूल्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, वहॉं यह माना जाएगा कि एक वर्ष का उत्पादन इस तरह के उल्लंघन के अंतर्गत था और पिछले वित्तीय वर्ष की कुल वार्षिक बिक्री को ऐसे उल्लंघन के लिए सामानों या वस्तुओं का मूल्य मान लिया जाएगा ।

(3) धारा 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति कारावास की अवधि सहित दंडनीय होगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने सहित, जो पहले उल्लंघन

के लिए दो लाख रूपये से कम नहीं होगा और दूसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए पॉच लाख रूपये से कम नहीं होगा, परंतु जिसे उत्पादित या बेचे गए अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित या हॉलमार्क सहित मानक मुहर के साथ लागू किया गया, सामान या वस्तुओं के मूल्य से पॉच गुना तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ । परंतु जहॉ उत्पादित या बेचे गए अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित सामानों या वस्तुओं के मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहॉ यह माना जाएगा कि एक वर्ष का उत्पादन इस तरह के उल्लंघन के अंतर्गत था । पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक कुल बिक्री को ऐसे उल्लंघन के लिए सामानों या वस्तुओं का मूल्य मान लिया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध संज्ञेय होगा ।

धारा 32 (1) : अदालत जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न नहीं, को इस तरफ से विशेष रूप से सशक्त किया गया है । यह इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध की जॉच करेगी ।

धारा 32 (4) : इसके अलावा माननीय अदालत किसी भी सम्पत्ति की जब्ती का निदेश दे सकती है, जिसके संबंध में उल्लंघन हुआ है । ब्यूरो इसे जब्त करेगा ।

धारा 35 (5) : अदालत यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत देय कोई जुर्माना या उसका कोई भाग ब्यूरो को देय होगा ।

धारा 35 : इस पर विचार किया गया है कि ब्यूरो के सभी सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुपालन में कार्य करने या कार्य करने के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में सार्वजनिक नौकर होने के लिए मान लिया जाएगा । (पैकेजबंद पेयजल के हाइपोथेटिकल मामले का विवरण)

4. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उपर्युक्त प्रावधानों को देखने/अनुपालन में, बीआईएस मानक मुहर (आईएसआई मुहर) के संभावित दुरूपयोग की जॉच और पता लगाने के लिए परिसर में संख्या ------- (आरोपी का नाम और पता) पर (दिनांक) का एक औचित्य पूर्ण (डिस्क्रीट) दौरा किया गया । दौरे के दौरान यह देखा गया कि साइकिल कोर्ट खाली और भरे ---------- (उत्पाद का नाम) से लदी हुई थी । कर्मी परिसर से बाहर आ रहे बड़े हौज पाइप से खाली जार भरते हुए पाए गए । कुछ जार पर लेबल लगे थे जबकि अन्य बिना लेबल के थे। लेबल वाले जार पर मानक मुहर लगी थी, जबकि बिना लेबल वाले जार पर मानक मुहर नहीं थी । इसलिए पैकेजबंद पेयजल का निर्माण अवैध रूप से बिना किसी वैध बीआईएस लाइसेंस के

हो रहा था और मानक मुहर (आईएसआई मुहर) का दुरूपयोग परिसर संख्या ---------- (अभियुक्त का नाम और पता) में हो रहा था, जिसका स्वामित्व अभियुक्त संख्या ------ से ------ है ।

5. उपरोक्त कथित न्यायसंगत जॉच पर आधारित है । भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर उपरोक्त परिसर पुलिस की सहायता से दौरा करने के लिए जॉच टीम गठित की गई और ---------- (दिनांक) को छापा मारा । (न्यायसंगत जॉच रिपोर्ट (दिनांक) की प्रति संलग्न है और अनुलग्नक ------- के रूप में चिन्हित है)

इसके साथ दिनांक------- की अन्वेषण रिपोर्ट संलग्न है और अनुलग्नक-- के रूप में चिन्हित है)

6. पत्र सं.------ दिनांक------- के द्वारा शिकायतकर्ता अर्थात ब्यूरो ने डीएसपी(सहायक आयुक्त पुलिस, ---------- पता) से अनुरोध किया कि वह अन्वेषण टीम (जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित व्यक्तियों के बताए गए परिसर पर छापा मारने के लिए गठित टीम) की सहायता एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कार्मिक तैनात करें जिसमें एक महिला पुलिस कार्मिक शामिल हो। (सशस्त्र कार्मिकों की तैनाती के लिए दिनांक --------- को किए गए अनुरोध की प्रति को इसके साथ अनुलग्नक-------के रूप में चिन्हित औऱ संलग्न किया गया है ।) उपरोक्त उल्लिखित पत्र सं.--- दिनांक-----के अलावा सक्षम प्राधिकारी ने एक और पत्र जारी किया है जिसका पत्र सं. ---- - दिनांक---- है । यह पत्र छापा टीम के पक्ष में है और उन्हें यह शक्ति देता है कि वे बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत दोषी (दोषी सं.----- से ------ अर्थात् ----------(दोषी का पता)) के परिसर में अन्वेषण, छानबीन और जब्ती की कार्यवाही शुरू करे। इसके साथ उन्होंने मालिक/फर्म/ दोषी व्यक्ति से अनुरोध किया है कि वे अन्वेषण टीम से अनुरोध करें कि वे उनकी कार्यालयी सेवाओं के निष्पादन में पूरा सहयोग प्रदान करें।

(इसके साथ छापा टीम के पक्ष में और अभियुक्त को भेजी गए पत्र की प्रति है जिसमें अभियुक्त से पूरा सहयोग देने के लिए अनुरोध किया है वह प्रति पत्र सं.---- दिनांक------ संलग्न है और अनुलग्नक–के रूप में चिन्हित है)

4.: टीम के निम्न सदस्यों ने छापा मारा -

श्री --------(नाम एवं पदनाम), टीम लीडर

श्री --------(नाम एवं पदनाम)

श्री --------(नाम एवं पदनाम)

श्री --------(नाम एवं पदनाम)

5. बीआईएस की उपरोक्त छापा टीम ने दो स्वतंत्र साक्षियों के साथ, पुलिस कार्मिक जिनके नाम श्री ---------(पुलिस कार्मिक का नाम और पदनाम) और----------(पुलिस कार्मिक का नाम और पदनाम) बीआईएस अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त फर्म के परिसर में छानबीन और जब्ती की कार्यवाही की।

6. यह कि तलाशी एवं जब्ती ऑपरेशन के दौरान जॉच टीम ने पाया कि ---------- में स्थित मै. ---------- (अभियुक्त का नाम एवं पता) का पैकेजबंद पेयजल उत्पादन के लिए आरओ प्लांट चल रहा था । यह भी पाया गया कि 20 लिटर के पैट जार खाली एवं भरे हुए बहुत से साइकिल रिक्शा एवं एक वैन भी परिसरों के बाहरी क्षेत्र में पार्क की हुई थी । परिसरों से बाहर आता हुआ प्लास्टिक के एक पाइप के माध्यम से परिसरों के सामने खाली जार भरे जा रहे थे और उन्हें मुहरांकित किया जा रहा था । रिक्शा एवं वैन पर लदे हुए खाली एवं भरे हुए जारों में से निम्नलिखित मदें/जारों की मात्रा मानक मुहर धारक वाले पाए गए :

क्रम सं.	मानक मुहर के विशेष संदर्भ में मुहरांकित के विवरण सहित जब्त सामग्री/दस्तावेजों के विवरण	मात्रा	पहचान चिन्ह
1.	पैकेजबंद पेयजल, 20 लिटर, पैट जार आईएसआई मुहरांकित, सीएम/एल - 3109845, ब्रांड नाम - जी लाइट	1 जार	आईएस 14543 आईएसआई सीएम/एल - 3109845
2.	पैकेजबंद पेयजल, 20 लिटर के खाली पैट जार, आईएसआई मुहरांकित, निम्नलिखित विवरणानुसार : सीएम/एल - 0008428381 बिस्लरी इंटरनेशनल प्रा. लि., ब्रांड नाम - बिस्लरी द्वारा सीएम/एल - 2629664 सवारे इंटरप्राइजिज, ब्रांड नाम - ब्ल्यू डाइट	20 लिटर	आईएस 14543 आईएसआई सीएम/एल नं. - 0008428381 2629664, 3109845 3109845

	सीएम/एल - 3109845 श्री साईं एक्वा प्रोडेक्ट्स, ब्रांड नाम - बिंग स्ट्रॉक		

इसके बाद, बीआईएस की टीम ने उक्त निर्माण इकाई की तलाशी की, जिसमें पाया कि मै/- ---------- (अभियुक्त व्यक्ति/फर्म/कं. का नाम) 20 लिटर के पैट जारों में पैकेजबंद पेयजल निर्मित कर रहा था और आईएसआई मुहर प्रयोग समुचित वैध लाइसेंस के बिना बीआईएस मानक मुहर के बिना ही कर रहा था । अत: अभियुक्त/फर्म/कंपनी किसी भी वैध लाइसेंस के बिना बीआईएस की मानक मुहर का प्रयोग करते हुए पाई गई । अत बीआईएस टीम ने उक्त दर्शाये परिसरों से दिनांक ---------- को सामग्री जब्त की ।

उक्त दर्शाई गई सामग्री को श्री ---------- (पुलिस अधिकारी का नाम एवं पदनाम) एवं हैड कांस्टेबल श्री ---------- (पुलिस अधिकारी का नाम एवं पदनाम) की उपस्थिति में कोडीकृत, हस्ताक्षरित एवं वैक्स से मुहरांकित किया गया ।

बताया जाता है कि अभियुक्त सं. ---------- अर्थात् ---------- (अभियुक्त का नाम) पार्टनरशिप वाली फर्म है, जिसकी पार्टनरशिप डीड दिनांकित ---------- है और जिसमें दो पार्टनर अर्थात् अभियुक्त नं. 2 श्री ---------- (अभियुक्त का नाम) एवं अभियुक्त नं. 3 श्री/श्रीमती ---------- (अभियुक्त का नाम)/ दोषी श्री ----------, फर्म नं. 1 अभियुक्त पार्टनर एवं श्री ---------- सुपुत्र श्री/श्रीमती ---------- छापे के समय श्री/श्रीमती ---------- की ओर से प्रस्तुत हुए और परिसरों संख्या पट्टाधारी श्री ---------- (पता, उक्त कार्यवाहियों की पावती एवं अपने हस्ताक्षर किए हैं और क्रमश: पैनकार्ड, आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोप्रति सुपुर्द की । (जब्ती ज्ञापन संख्या ---------- दिनांकित---------- की प्रति ------ छापा रिपोर्ट दिनांकित और पार्टनर डीड दिनांकित ---------- की प्रति अनुलग्नक ---------- एवं ---------- क्रमश: इसके साथ संलग्न है (कोली) ।

कि बीआईएस छापाकार टीम के तलाशी एवं जब्ती ऑपरेशन के दौरान शिकायतकर्त्ता ने सूचित किया कि अभियुक्त सं. ---------- अर्थात् श्री ----------, अभियुक्त सं. ---------

श्री/श्रीमती ---------- (जिसका बेटा अर्थात् श्री ---------- और उपरोक्त तीनों पावतीकृत व्यक्तियों ने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर करके आईएसआई मुहर के दुरूपयोग के लिए जिम्मेवार हैं । कि दोषी श्री ----------, श्री ---------- एवं श्री ----------, श्री/श्रीमती ---------- की ओर से उपस्थित व्यक्ति ने वस्तुओं पर बिना वैध बीआईएस लाइसेंस के गैरकानूनी प्रयोग में अपनी पहचान एवं लिप्तता पर कोई विवाद नहीं किया । प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त श्री ----------, श्री ---------- एवं श्री ---------- की ओर से उपस्थित एवं पुत्र श्री/श्रीमती ---------- ने पावती के तहत अपने-अपने पैनकार्ड, आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोप्रति उपलब्ध कराई । तलाशी एवं जब्ती ऑपरेशन के दौरान यह पाया गया कि मै. ---------- (दोषी फर्म/ व्यक्ति का नाम) एवं श्री ---------- (पट्टाधारी) के बीच एक लीज डीड दिनांकित - निष्पादित की गई, जिसके द्वारा अभियुक्त सं. ---------- ने दिनांक ---------- से दिनांक ------ तक ---------- माह हेतु लीज पर उक्त परिसर ---------- (पता) को दिया था एवं पट्टाधारी अर्थात् अभियुक्त सं. ---------- को एफिनिटी, नेचर ब्ल्यू जैसे कुछ ब्रांड के पैकेजबंद पेयजल को बेचने एवं गैर-कानूनी गतिविधियॉं करने के लिए प्राधिकृत किया था । यह भी बताया जाता है कि ---------- पर गैर-कानूनी गतिविधियॉं चलाई जा रही थीं और उक्त परिसरों में किए जा रहे सभी कार्य की दिन-प्रतिदिन की गतिविधि हेतु सभी अभियुक्त उत्तरदायी हैं । अभियुक्त सं. ---------- श्री ---------- को पूर्णत: मालूम था कि बीआईएस से वैध लाइसेंस के बिना उक्त परिसर में गतिविधियॉं चलाई जा रही हैं ।

(छापे के दौरान प्राप्त की गई लीज डीड दिनांकित ---------- की प्रति के साथ ही पैनकार्ड, आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अनुलग्नक ------ के रूप से इसके साथ संलग्न है)

7. उक्त दर्शाये गये तथ्यों से यह स्पष्टत: स्थापित होता है कि ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना उत्पाद पर बीआईएस मानक मुहर का प्रयोग अभियुक्तों ने किया है और इस प्रकार अभियुक्त ने बीआईएस अधिनियम, 2016 के धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन किया है । अत: बीआईएस अधिनियम, 2016 के धारा 29 के तहत सभी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन, मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा दी जा सकती है ।

8. चूंकि अभियुक्त सं. ------- से ---------- उक्त परिसर अर्थात् ---------- (पता) से दिन-प्रतिदिन के कामकाज में इसका प्रयोग बीआईएस से वैध लाइसेंस के बिना आईएसआई मुहर का प्रयोग नियमित रूप से कर रहे हैं/थे । तदुनरूप सभी अभियुक्तों ने बीआईएस से वैध लाइसेंस के बिना आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने का अपराध किया है । अत: सभी अभियुक्तों के खिलाफ बीआईएस अधिनियम, 2016 के धारा 29 के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है ।

9. कि बीआईएस उक्त नाम का एक निकाय कार्पोरेट है, जो इस अधिनियम के उपाबंधों की शर्त, शक्ति सहित चिर उत्तराधिकारी एवं एक सामान्य सील वाला है, जो सम्पत्ति को अधिग्रहण, रोकना एवं निपटान, चल और अचल दोनों एवं संविदा करने वाला तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के धारा 3 के तहत उक्त नाम से मुकदमा करने एवं मुकदमा लड़ेगा तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के धारा 35 के अभिप्राय के भीतर पब्लिक सर्वेन्ट है ।

10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के धारा 35 एवं भारतीय दंड संहिता के धारा 21 के अभिप्राय के भीतर पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते शिकायतकर्त्ता भविष्य में न्यायालय की कार्यवाही में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट ले सकते हैं । तथापि, जब भी न्यायालय आदेश करेगा तो शिकायतकर्त्ता को कोई कार्यवाही में उपस्थित होना पड़ेगा ।

11. कि चूंकि अभियुक्तों ने इस कोर्ट के संघीय कार्यक्षेत्र में ---------- (पता) पर अपराध किया है, ऐसे में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के धारा 17 के उपरोक्त दर्शाये उल्लंघन के लिए मुकदमा चलने एवं सजा देने के लिए संज्ञान लेने के लिए सक्षम है ।

प्रार्थना

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में यह बहुत ही आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय निम्नलिखित का संज्ञान ले :

क) शिकायत पर ध्यान देकर अभियुक्त को बीआईएस अधिनियम, 2016 के धारा 17 के उपबंधों के उल्लंघन एवं हस्तक्षेप द्वारा किए गए अपराध के लिए सम्मन जारी हो और इसके प्रयोग के लिए वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना आईएसआई मुहर के दुरूपयोग के

लिए बीआईएस अधिनियम, 2016 के धारा 29 द्वारा उपलब्ध कानून के अनुसार उन्हें सजा दी जाए तथा

ख) **बीआईएस अधिनियम, 2016 के धारा 32(5) के साथ पठित सीआरपीसी के धारा 357 के तहत और उक्त में दर्शाये गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारार्थ बीआईएस को पूर्णत: प्रतिपूर्ति की जाए; एवं**

ग) **जब्ती ज्ञापन सं. दिनांक ---------- के अनुसार जब्त सामान, सामग्री और वस्तुओं को बीआईएस अधिनियम, 2016 के धारा 32(4) के तहत और उक्त दर्शाये गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके ब्यूरो के लिए अपवर्तित करने के लिए निर्देश दिए जाएँ; एवं**

घ) **शिकायतकर्त्ता के पक्ष में शिकायतकर्त्ता के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत जैसा यह न्यायालय उचित समझे, उसे पास करे और आदेश दें ।**

शिकायतकर्ता

काउंसल के माध्यम से

बीआईएस के वकील के

बीआईएस काउंसल का नाम, पता और फोन नं.

स्थान :-

स्थान :- / /201.....

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नॉर्थ, जिला रोहिणी, दिल्ली के कोर्ट में

201..... के अभियुक्त शिकायत सं.

<u>के मामले में : -</u>

भारतीय मानक ब्यूरो **शिकायतकर्ता**

बनाम

मैसर्स ..... **अभियुक्त**

मैं..... सुपुत्र श्री....., आयु.....वर्ष, शिकायतकर्ता संगठन में वैज्ञा.... के पद पर अभिहित हूं, मेरा कार्यालय.....(पता) है, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित के अनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और ईमानदारी से अभिव्यक्त करता हूं कि

1. **मैं यह अभिव्यक्त करता हूं कि मैं शिकायतकर्ता संगठन में वैज्ञानिक..... के रूप में कार्य कर रहा हूं और संगठन ने मुझे अपने मामले को पेश करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया है।**
2. **मैं इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित हूं और मैं इस शपथ-पत्रसे वचन देने में सक्षम हूं।**
3. **मैं यह अभिव्यक्त करता हूं कि मैंने आपराधिक शिकायत काअवलोकन कर लिया है और वहां से कुछ सामग्री को छिपाया नहीं गया है। विधिक निवेदन कानूनी सलाह पर आधारित हैं।**
4. **मैं यह अभिव्यक्त करता हूं कि इसके साथ दायर किए गए अनुबंध अपने संबंधित मूल दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियां हैं।**
5. **मैं यह अभिव्यक्त करता हूं कि उपरोक्त में जो मैंने विवरण दिया है, वह मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।**

अभिसाक्षी

<u>सत्यापन</u>

मैं, ...सुपुत्र श्री....., लगभग आयु .....वर्ष, शिकायतकर्ता संगठन में वैज्ञा .... के पद पर नियुक्त हूं, मेरा कार्यालय ..... है, इस शपथ-पत्र के अनुच्छेद....से.....की सामग्री को सत्यापित करता हूं और अभिव्यक्त करता हूं कि इसकी सामग्री सत्य और सही हैं और इस मामले के रिकॉर्ड के आधार पर सही मानी जा सकती है। इसका कोई भागअसत्य नहीं है और उसमें से कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

कृपया ध्यान दें: (यह पब्लिक नोटरी द्वारा नोटराइज किया जाना है)

..... के न्यायालय में

जिला.....

राज्य.....

अभियुक्त शिकायत सं. ---------- के 201.....

<u>के मामले में : -</u>

भारतीय मानक ब्यूरो **शिकायतकर्ता**

बनाम

मैसर्स.....एंड ओआरएस **अभियुक्त**

श्री.....मैसर्स.....के

स्वामी/भागीदार

(अभियुक्त का नाम और पता) **अभियुक्त सं. 1**
(अभियुक्त का नाम और पता) **अभियुक्त सं. 2**
(अभियुक्त का नाम और पता) **अभियुक्त सं. 3**

पुलिस स्टेशन.....

शिकायतकर्ता के और से गवाहों की सूची

1. **श्री ---------- पदनाम.....**

2. **श्री ---------- पदनाम .....**

3. **श्री ---------- पदनाम .....**

4. **श्री .... (पुलिस स्टेशन के बैज नंबर के पते के साथ पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम)**

5. **श्री .... (पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम उनकी बैज संख्या / पुलिस स्टेशन के पते के साथ)**

6. **श्री ---------- (फर्म / कंपनी / एंपलोई फर्म /कंपनी के नाम के आरोपी / भागीदार का नाम)**

शिकायतकर्ता

काउंसल के माध्यम से

(बीआईएस काउंसल पैनल का नाम और पता)

स्थान :

दिनांक :

SPECIMEN / MODEL OF COMPLAINT

IN THE COURT OF _____
DISTRICT_____
STATE_____

Criminal Complaint No. _____ of 2018

IN THE MATTER OF: -

BUREAU OF INDIAN STANDARDS — COMPLAINANT

VERSUS

M/s _____ & Ors. — ACCUSED

Shri----------Proprietor/Partner(s) of
M/s----------

1. **(Name and addresses of accused)** — **ACCUSED No.1**
2. **(Name and addresses of accused)** — **ACCUSED No.2**
3. **(Name and addresses of accused)** — **ACCUSED No.3**

POLICE STATION----------

INDEX

Sl No.	**DESCRIPTION**	**PAGE No.**
1.	Complaint under Section 200 of Cr.P.C read with Section 11 or sub-section (6) or (8) of Section 14 or 15 or 17 or Section 26 (***as the case may be)*** of Bureau of Indian Standards Act, 2016	
2.	List of Documents	
3.	**ANNEXURE 1**:- Authorization Letter dated---	
4.	**ANNEXURE 2**: Copy of the Discreet Investigation Report dated ……..	
5.	**ANNEXURE 3**: Copy of the request for deployment of armed personnel dated ……	
6.	**ANNEXURE 4:** Copy of the letter no._____ dated _____issued in favour of the raiding team and requesting the offender to extend full cooperation	
7.	**Annexure 5** :- Copy of the Seizure Memo No. ……dated…….	

8.	**ANNEXURE 6:-** Copy of the report of raid/Search & Seizure No….. dated ----------.	
8.	**ANNEXURE 7**:- Copy of the Partnership Deed, dated--------- if any, or in case of a company necessary documents to this effect	
9.	**ANNEXURE 8**:- Copy of Lease/ Rent Deed dated---------- as well as photocopy of Pan Card/ Aadhar Card/Telephone Bill/Electric Bill/ Driving license etc. or any other documents obtained during the raid**. (colly)**	
10.	List of Witness (s)	
11.	Vakalatnama	

COMPLAINANT

THROUGH

BIS COUNSEL NAME, ADDRSS AND PHONE NUMBER

OF THE BIS ADVOCATE

Place:- _____

Date:- / /201---

IN THE COURT OF _____
DISTRICT_____
STATE_____

Criminal Complaint No. _____ of 201-

IN THE MATTER OF: -

BUREAU OF INDIAN STANDARDS — COMPLAINANT

VERSUS

M/s _____ & Ors. — ACCUSED
Shri----------Proprietor/Partner of
M/s----------

(Name and addresses of accused) — **ACCUSED No.1**
(Name and addresses of accused) — **ACCUSED No.2**
(Name and addresses of accused) — **ACCUSED No.3**

POLICE STATION: _____

COMPLAINT UNDER SECTION 200 OF Cr.P.C READ WITH SECTION 11 OR SUB-SECTION (6) OR (8) OF SECTION 14 OR 15 OR 17 OR SECTION 26 ***(as the case may be)*** OF THE BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016, FOR PROSECUTING AND PUNISHING THE ACCUSED PERSONS/FIRM FOR VIOLATIONS OF BIS ACT, 2016.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

1. That the Bureau of Indian Standards is a body corporate under Sub-Section 2 of Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (hereinafter referred to as "the Act"). The Bureau of Indian Standards (hereinafter referred to as "the Bureau") is the National apex body for formulation of Standards and grants License or Certificate of Conformity if the goods, articles, process, system or service confirms to a Standard. The Bureau has been empowered to grant Certification Marks Licence in respect of goods, products and services as also the Quality Systems and Management Systems. The present complaint against the accused person is being filed through **Shri _____, Scientist- , _____ Department,** the Complainant in this case, who has been duly authorized by the Competent Authority in this behalf. (**Copy of Authorization letter is enclosed herewith as Annexure ….**).

2. THAT the Bureau of Indian Standards is a body corporate under an Act of Parliament (Act No. 11 of 2016) known as the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (called BIS Act, 2016) for the harmonious development of the activities of Standardization, conformity assessment and quality assurance of goods, articles, processes, systems and services and for matters connected therewith or incidental thereto. By virtue of powers conferred under Section 9 read with Section 27 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, the complainant is authorized to conduct inspection and take samples of any material or substance as may be necessary to see whether an article or process in relation to which the Standard Mark has been used, conforms to the Indian Standard and to verify whether the Standard Mark has been used properly in relation to any article or goods in terms of the licence.

3. The Bureau has been vested with the power to grant, renew, suspend or cancel a licence u/s 13 and 14 of BIS Act, 2016, subject to various provisions of regulations made thereunder:

Section 11: (I) No individual shall, without the authorization of the Bureau, in any manner or form, publish, reproduce or record any Indian Standard or part thereof, or any other publication of the Bureau. (2) No person shall issue a document that creates, or may create the impression that it is or contains an Indian standard, as contemplated in this Act. Provided that nothing in this sub-section shall prevent any individual from making a copy of Indian Standard for his personal use.

Section 13: A person may apply for grant of licence or certificate of conformity, as the case may be, if the goods, article, process, system or service conforms to an Indian Standard.

Section 14 (4): the Bureau may, by an order, grant, renew, suspend or cancel certification of Standard Mark or Hallmark of a jeweler or any other seller for sale of goods or articles notified under sub-section (1) in such manner as may be determined by regulations.

Section 14(6): No testing and marking centre or assaying and hallmarking centre, other than the recognized by the Bureau, shall with respect to goods or articles notified under sub-section(I), use, affix, emboss, engrave, print or apply in any manner the Standard Mark, including the Hallmark, or colourable imitation thereof, on any goods or article, and make any claim in relation to the use and application of a Standard Mark, including the Hallmark, through advertisements, sales promotion leaflets, price lists or the like.

Section 14(8): No recognized testing and marking centre, including assaying and hallmarking centre, shall, notwithstanding that it has been recognized under sub-section (5), use or apply in relation to any goods or article notified under sub-section(I) a Standard Mark, including Hallmark, or any colourable imitation thereof, unless such goods or article conforms to the relevant standard.

Section 15: of the Act, no person shall import, distribute, sell, store or exhibit for sale, any goods or article under the sub-section (1) of Section 14, except under certification from the Bureau.

Section 15(2): No Person, other than that certified by the Bureau, shall sell or display or offer to sell goods or articles that are notified under sub-section (3) of section 14 and marked with the Standard Mark, including Hallmark and claim in relation to the Standard Mark, including Hallmark, through advertisements, sales promotion leaflets, price lists or the like.

Section 15(3): No certified jewelers or seller shall sell or display or offer to sell any notified goods or articles, notwithstanding that he has been granted certification, with the Standard mark, including Hallmark, or any colourable limitation thereof, unless such goods or article is marked with a Standard Mark or Hallmark, in a manner as may be specified by regulations, and unless such goods or article conforms to the relevant standard.

Section 16: The Central Government has the power to notify any article or process of any scheduled industry which shall conform to the Indian Standard; and direct the use of the Standard Mark under a licence as compulsory on such article or process. In pursuance of the provisions of the Central Government notification GSR has brought the _____(name of product) preparation and mixtures (IS : 5346) under compulsory certification vide its Quality Control Order issued by the Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health, Notification G.S.R. No.764(E) dated 15 November 1984 under the Prevention of Food Adulteration (3rd Amendment) Rules, 1984 made under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

Section 17 (I): No person shall manufacture, import, distribute, sell, hire, lease store or exhibit for sale any such goods, article, process, system or service under sub-section (I) of section 16 –(a) without a Standard Mark, except under a valid licence, or (b) notwithstanding that he has been granted a license, apply a standard Mark, unless such goods, article, process, system or service conforms to the relevant standard or prescribed essential requirements.

Section 17(2): No person shall make a public claim, through advertisements, sales promotion leaflets process lists or the like, that his goods, article, process, system or service conforms to an Indian Standard or make such a declaration on the goods or article, without having a valid certificate of conformity or licence from the Bureau or any other authority approved by the central government under sub-section (2) of section 16.

Section 17(3): of the Act envisages that no person shall use or apply or purport to use or apply in any manner, in the manufacture, distribution, sale, hire, lease or exhibit or offer for sale of any goods, article, process, system or service or in the title of any patent or in any trade mark or design, a Standard Mark or any colorable thereof, except under a valid licence from the Bureau.

Section 25: Powers of the Central Government to issue direction(s) have been defined.

Section 25(3): The powers of the Bureau, inter-alia, includes the power to take such other action as may be necessary for the promotion, monitoring and management of quality of goods, article, processes, systems and services and to protect the interests of consumers and various others stakeholders and notify any other goods, articles, processes, systems and services for the purpose of sub-section of (1) of Section 16.

Section 26: (1) No person shall, with a view to deceive or likely to deceive the public, use without the previous permission of the Bureau, -

(a) Any name which so nearly resembles the name of the Bureau as to deceive or likely to deceive the public or the name which contains the expression “Indian Standard” or any abbreviation thereof, or

(b) Any title of any patent or mark or trade mark or design, in relation to any goods, article, process, system or service, containing the expressions “ Indian Standard” or “Indian Standard Specification” or any abbreviation of such expressions.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no registering authority shall –

(a) register any company, firm or other body of persons which bears any name or mark; or

(b) register a trade mark or design which bears any name or mark; or
(c) grant a patent, in respect of an invention, which bears a title containing any name or mark, if the use of such name or mark is in contravention of sub-section (1).

(3) If any question arises before a registering authority whether the use of any name or mark is in contravention of sub-section (1), the registering authority may refer the question to the Central Government whose decision thereon shall be final.

Section 27: The Certification Officers have been vested with the powers to: (a) inspect any operation carried on in connection with any goods, article, process, system or service in relation to which the Standard Mark has been used; and (b) take samples of any article or of any material or substance used in any goods, article, process, system or service, in relation to which the Standard Mark has been used.

Section 28: (1) If the Certification Officer has reason to believe that any goods or articles, process, system, or service in relation to which the contravention of Section 11 or sub-section (6) or (8) of Section 14 or Section 15 or Section 17 has taken place, are secreted in any place, premises or vehicle, he may enter into and search such place, premises or vehicle for such goods or articles, process, system or service, as the case may be. Where, as a result of any search made under sub-section (1), any goods or article, process, system, or service has been found in relation to which the contravention of Section 11 or Section 14 or Section 15 or Section 17 has taken place, the Certification Officer may seize such goods or articles and other material and documents etc.

Section 29: Penalties for violations of provisions of BIS Act, 2016 is prescribed, which is reproduced as under for the ready reference of this Hon'ble Court.

29. (1) Any person who contravenes the provisions of section 11 or sub-section (1) of section 26 shall be punishable with fine which may extend to five lakh rupees.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-sections (6) or (8) of section 14 or section 15 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than one lakh rupees, but may extend up to five times the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold or affixed or applied with a Standard Mark including Hallmark, or with both: Provided that where the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold cannot be determined, it shall be presumed that one year's production was in such contravention and the annual turnover in the previous financial year shall be taken as the value of goods or articles for such contravention.

(3) Any person who contravenes the provisions of section 17 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to two years or with fine which shall not be less than two lakh rupees for the first contravention and not be less than five lakh rupees for the second and subsequent contraventions, but may extend up to ten times the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold or affixed or applied with a Standard Mark, including Hallmark, or with both:

Provided that where the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold cannot be determined, it shall be presumed that one year's production was in such contravention and the annual turnover in the previous financial year shall be taken as the value of goods or articles for such contravention.

(4) The offence under sub-section (3) shall be cognizable.

Section 32 (I): No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class, specially empowered in this behalf, shall try any offence punishable under this Act.

Section 32 (4): Apart from this, the Hon'ble Court may direct any property in respect of which the contravention has taken place shall be forfeited to the Bureau.
Section 32 (5): The Court may direct that any fine, in whole or any part thereof, payable under the provisions of this act, shall be payable to the Bureau.

Section 35: It has been envisaged that all members, officers and other employees of the Bureau shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(Narration of a Hypothetical case of Packaged Drinking Water)

4. THAT in view/pursuance to the above mentioned provisions of the Bureau of Indian Standard Act 2016, a discreet visit was carried out at the premises bearing No.----------(Name & address of accused) on --------(date) in order to check and ascertain a likely misuse of BIS Standard Mark (ISI Mark). During the visit it was observed that cycle cart were loaded with empty and filled ---------- (product name). Workers were found filing the empty jars with large hose pipe coming out from the premises. Some jars carried labels while others were without labels. Jars with labels were marked with standard mark while jars without labels had no standard mark on them. Therefore manufacturing of the packaged drinking water was being done illegally without having the valid BIS licence and misuse of Standard Mark (ISI Mark) was taking place at the premises bearing No.---------- -------(Name and address of accused) which is owned by Accused No.----to -----.

5. THAT based on the above said discreet investigation, the Bureau of Indian Standards by virtue of powers conferred under vide Section 9 of BIS Act, 2016, investigation team was constituted to visit the said premises along with the Police assistance and it carried out the raid on ----------(date). **(Copy of the discreet**

investigation report dated --------- is enclosed herewith and marked as Annexure – -).

6. THAT vide letter No. ---------dated --------, a request was made by the Complainant i.e, Bureau to the DSP/Assistant Commissioner of Police, ----------(address) to deploy ----- armed police personnel including one lady police personnel to assist and provide protection and safety to the members of investigation team constituted by the competent authority for conducting the raid at the said premises of the accused persons. (**Copy of the request dated ----------. for deployment of armed personnel is marked and enclosed herewith as Annexure – --**). Further besides the above mentioned letter No. ---------dated ----------, competent authority vide its letter No. ------dated ---------- also issued a letter in favour of the raiding team and empowered them for carrying on investigation, search and seizure in the premises of the offender, Accused No.---- to -----i.e. ----------(address of accused) under the provisions of BIS Act, 2016 and requested the owner/firm/accused person to extend full cooperation to the investigating team and help them in performing their official duties.

(Copy of the letter no. ---------- dated---------- issued in favour of the raiding team and requesting the offender to extend full cooperation is enclosed herewith and marked as ANNEXURE--)

4. That the raid was carried out by the following team members: -

Sh. ----------(Name and designation), Team Leader
Sh. ----------(Name and designation)
Sh. ----------(Name and designation)
Sh. ----------(Name and designation)

5. THAT the above mentioned BIS raiding team along with two independent witnesses, Police officials, namely i.e. Sh. ----------(Name and designation of police officials) and ----------(Name and designation of police officials) conducted the search and seizure operation at the premises of the accused firm in accordance with the Provisions of BIS Act, 2016.

6. THAT during the search and seizure operation the Investigating Team found that M/s ----------(Name and address of accused) located at ---------- was having RO Plant for producing Packaged Drinking Water. It was also found that multiple cycle Carts and a van were parked stationed outside the premises loaded with empty and filled 20 litre PET Jars. Empty Jars were being filled and sealed in front of the premises through a plastic pipe coming out from the premises. Out of empty and filled Jars loaded on Cart and van, following items/quantity of Jars was found to be bearing Standard Mark:-

S. No.	Description of the Material/Documents seized with details of marking with specific reference in Standard Mark	Quantity	Identification Mark
1.	Packaged Drinking Water, 20 Ltrs, Pet Jar, ISI Marked, CM/L – 3109845, Brand name – G-Lite.	1 Jar	IS: 14543 ISI CM/L-3109845
2.	Empty 20 Litre Pet Jars of Packaged Drinking Water, ISI Marked, with following details : CM/L No.0008428381 by Bisleri International Pvt. Ltd., Brand Name Bisleri CM/L No. 2629664 by Savare Enterprises, Brand Name Blue Diet CM/L No. 3109845,by Shree Sai Aqua Products Brand names– Big Stroke,	20 Jars	IS: 14543 ISI CM/L Nos.0008428381, 2629664,3109845

Thereafter, the BIS team searched the said manufacturing unit, wherein it was found that M/s ----------(Name accused person/firm/company) was manufacturing packaged drinking water in 20 liter PET Jars and thereby misused BIS Standard Mark without having any proper valid license to use ISI mark. Thus,

the accused /firm/company was found misusing the BIS Standard Mark without having any valid BIS licence and, as such, the BIS team seized the material on ------(date) from the above mentioned premises.

The above mention material was coded, signed and sealed with wax in the presence of Sh. ----------,(Name and designation of Police officers) and Head Constable Sh. ----------(Name and designation of Police officer) and was thereafter taken into possession vide Seizure Memo No.---------- dated ----------.

It is submitted that accused no.-- i.e. ----------(Name of accused) is a partnership firm, having Partnership Deed dated ---------- and 2 partners i.e. accused no.2, Sh. ----------(name of accused), and accused no.3 Shri/Smt. ----------(Name of accused). The accused Sh. ----------, Partner in accused No.1 Firm and Sh---------- S/o Sh/Smt. ---------- who was appearing on behalf of Sh/Smt.---------- at the time raid was conducted and Sh. ----------, Lessee of the premises No. ----------(address), acknowledged the aforesaid proceedings and have put their signature and handed over the photocopy of PAN CARD, Adhaar Card and Driving license respectively. **(Copy of Seizure memo No. ---------- dated ----------, Copy of the report of raid dated ---------- and Partnership deed dated ---------- is enclosed herewith as Annexure --,---and--- respectively (Colly).**

THAT the BIS raiding team, the Complainant during the search and seizure operation informed that accused no.----- i.e. Sh. ----------, accused no.-----Sh/ Smt. ---------- (whose son i.e. Sh ----------, was present during the raid) and accused no.--- ,Sh---------- are responsible for misusing the ISI Mark and all the three above named persons acknowledged the misuse by putting their signature on the seizure memo. That accused Sh. ----------, Sh ---------- and Sh---------- appearing on behalf of Shri/Smt.---------- did not dispute their identity and their involvement with the illegal use of ISI Mark without valid BIS licence for using it on the article. It is submitted that upon examination the accused Sh. ----------, Sh---------- and Sh----------appearing on behalf of and S/o Shri/Smt.---------- provided their photocopy of PAN CARD, Adhaar Card and Driving license respectively under acknowledgement. During the search and seizure

operation, It was also found that a lease deed dated ---------- was executed between M/s ----------(Name of accused firm/person) and Shri---------- -------- (lessee) whereby the accused No.-- had given the said premises i.e ---------- ----------(address) on lease for ----- months commencing from dt---------- - to ---------- and had authorized the lessee i.e. accused No. -------to sell packaged drinking water of some brands like **Affinity**, **Nature blue** and to carried out illegal activities. It is, further, submitted that the illegal activities were being carried out at ----------and all the accused persons are responsible for day to day activity of the entire work carried out at the aforesaid premises. The accused no.----- Sh. ---------- was fully aware about the activities being carried out in the said premise without valid licenses from BIS.

(Copy of Lease Deed dated ---------- as well as photocopy of PAN CARD, Adhaar Card and Driving license obtained during raid is enclosed herewith as Annexure ---).

7. THAT from the above mentioned facts, it is established clearly that the accused persons have misused the BIS Standard Mark on the product without having a valid licence from the Bureau and, as such, the accused persons have contravened the provisions Section 17 of BIS Act, 2016, therefore, all accused persons are liable to be prosecuted, tried and punished under Section 29 of BIS Act, 2016.

8. THAT since accused no. ---- to -----are /were regularly using the ISI Mark without having valid BIS licence to use the same in day to day course from the aforesaid premises i.e. ----------(address), accordingly all the accused persons have committed offence of misusing the ISI Mark without having valid BIS license, therefore all the accused persons are liable to be prosecuted under Section 29 of BIS Act, 2016.

9. THAT the BIS is a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued under section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 and a Public servant within the meaning of section 35 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

10. THAT the complainant being a Public servant within the meaning of section 35 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 and Section 21 of the Indian Penal Code and may be exempted from personal appearance of court proceedings in future. However, the complainant will attend the court proceedings as and when ordered by the Hon'ble Court.

11. THAT since the accused persons have committed the offence at ----------(address) within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court, as such, this Hon'ble Court is competent to take cognizance to try and punish the accused for the above mentioned contravention of Section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

PRAYER

In the backdrop of the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may please to: -

a) entertain the complaint, the accused be summoned for having committed offence by violating and contravening the provisions of Section 17 of the BIS Act, 2016 and may further be pleased to punish them in accordance with the law provided by Section 29 of the BIS Act, 2016 for misusing the ISI Mark without having the valid BIS licence to use the same and

b) award adequate compensation to BIS under Section 357 of Cr.P.C. read with section 32(5) of BIS Act, 2016, on considering the facts and circumstances of the case narrated in above; and

c) direct that the seized goods, materials and articles as per the seizure memo dated---------- be forfeited to the Bureau under Section 32 (4) of BIS Act, 2016 on considering the facts and circumstances of the case narrated herein above; and

d) pass such and further orders as this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances of the complainant, in favour of the complainant.

Complainant

Through Counsel
BIS COUNSEL NAME, ADDRSS AND PHONE NUMBER

OF THE BIS ADVOCATE

Place:- _____

Date:- / /201---

IN THE COURT OF CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, NORTH DISTRICT ROHINI, DELHI

Criminal Complaint No. of 201--

IN THE MATTER OF: -

BUREAU OF INDIAN STANDARDS COMPLAINANT

VERSUS

M/s ---------- ACCUSED

I, ---------- S/o Sh. ----------, aged ---------years, designated as Scientist - -, in the Complainant organization, having my office at ----------(address), do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows: -

1. I state that I am working as a Scientist - - with the Complainant Organization and the Organization authorized me as their authorized representative to present their case.
2. I am well acquainted with the facts and circumstances of this case and I am competent to swear this affidavit.
3. I state that I have perused the said criminal complaint and nothing material has been suppressed therefrom. Legal submissions are all based on legal Advice.
4. I state that the annexure filed herewith are the true copies of its respective Originals.
5. I state that what I have stated in the above is true to my knowledge and belief.

DEPONENT

Verification

I, ----------S/o Sh. ----------, aged about -------- years, designated as Scientist - -, in the Complainant organization, having my office at ----------, verified the contents of para --- to -- of this affidavit and state that the contents of the same are true and correct and believed on the basis of the record of the case to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Please note: (It is to be got notarised by the Notary Public)

IN THE COURT OF _____,
DISTRICT_____
STATE_____

Criminal Complaint No. _____ of 201---

IN THE MATTER OF: -

BUREAU OF INDIAN STANDARDS — COMPLAINANT

VERSUS

M/s _____ & Ors. — ACCUSED

Shri----------Proprietor/Partner of
M/s----------

(Name and addresses of accused) — ACCUSED No.1
(Name and addresses of accused) — ACCUSED No.2
(Name and addresses of accused) — ACCUSED No.3

POLICE STATION----------

LIST OF WITNESSES ON BEHALF OF THE COMPLAINANT

1. Shri----------Designation……..
2. Shri ----------Designation…….
3. Shri ----------Designation…….
4. Shri ……..(Name & designation of Police officer with their badge Number address of police station)
5. Shri ……..(Name & designation of Police officer with their badge Number/ address of police station)
6. Shri----------(name of accused/Partner of the Firm/company/ name of employee firm/company)

Complainant

Through Counsel

(Name and address of BIS empanelled Counsel)

Place:
Dated: